

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 01 जनवरी, 2019

संख्या 12/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 90/एसटी-2, दिनांक 25 सितंबर, 2017, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 118/एसटी-2, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 और हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 130/एसटी-2, दिनांक 22 नवंबर, 2017 का, उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय तिथि तक जुलाई, 2017 मास के पश्चात् के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए भुगतानयोग्य ऐसी विलंब फीस की राशि को अधित्याजित करते हैं जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपए की राशि से अधिक है :

परंतु जहां उक्त विवरणी में भुगतानयोग्य राज्य कर की कुल राशि शून्य है, वहां ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय तिथि तक जुलाई, 2017 मास के पश्चात् के लिए उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने हेतु भुगतानयोग्य विलंब फीस की राशि उस विस्तार तक अधित्याजित कर दी जाएगी, जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए दस रुपए की राशि से अधिक है :

परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन भुगतानयोग्य विलंब फीस की राशि, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्याजित की जाएगी, जो देय तिथि तक जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 मास तक के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत में असफल रहे हैं किंतु उन्होंने 22 दिसंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के बीच उक्त विवरणी प्रस्तुत कर दी है ।”।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification**

The 1st January, 2019

No.12/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, and in supersession of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification no.90/ST-2, dated the 25th September, 2017, the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification no.118/ST-2, dated the 27th October, 2017 and the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification no.130/ST-2, dated the 22nd November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the month of July, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount of state tax payable in the said return is nil, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return for the month of July, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues:

Provided further that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months of July, 2017 to September, 2018 by the due date but furnishes the said return between the period from the 22nd December, 2018 to the 31st March, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.